

25

आज पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा 2025, कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत लठावाली में प्रार्थी रणवीर पुत्र हरिकिशन द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न जमाबंदी चक 25 एमएल, पटवार हल्का लठावाली, भू.अ.नि. नेतेवाला खाता संख्या 72/67, जमाबंदी चक 24 एमएल, पटवार हल्का लठावाली, भू.अ.नि. नेतेवाला खाता संख्या 94/85, जमाबंदी चक 25 एमएल, पटवार हल्का लठावाली, भू.अ.नि. नेतेवाला खाता संख्या 86/80, प्रार्थीया मनोहर देवी पत्नी बद्रीराम के आधार कार्ड की प्रति, प्रार्थीया मनोहर देवी पत्नी बद्रीराम के निर्वाचन पहचान पत्र की प्रति, प्रार्थी राम कुमार पुत्र बद्री राम के राशन कार्ड की प्रति, प्रार्थी राम कुमार पुत्र बद्री राम के आधार कार्ड की प्रति, प्रार्थी राम कुमार पुत्र बद्री राम के निर्वाचन कार्ड की प्रति, पटवारी हल्का द्वारा तैयार दैनिक डयरी की प्रति का अवलोकन किया गया। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर एवं पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर एवं पटवारी हलका द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने बाबत अनुशंषा की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर जमाबंदी चक 25 एमएल, पटवार हल्का लठावाली, भू.अ.नि. नेतेवाला खाता संख्या 72/67, जमाबंदी चक 24 एमएल, पटवार हल्का लठावाली, भू.अ.नि. नेतेवाला खाता संख्या 94/85, जमाबंदी चक 25 एमएल, पटवार हल्का लठावाली, भू.अ.नि. नेतेवाला खाता संख्या 86/80 में राम कुमार पुत्र बद्री प्रसाद के स्थान पर राम कुमार पुत्र बद्री राम, मनोहरी देवी पत्नी बद्री प्रसाद के स्थान पर मनोहरी देवी पत्नी बद्री राम एवम् राम कुमार उर्फ रामचन्द्र पुत्र बद्रीप्रसाद के स्थान पर राम कुमार पुत्र बद्री राम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करे।

निर्णय कैम्प कोट ग्रा. पंचायत लठावाली में मजमेआम सुनाया गया।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

